

चेकलिस्ट क्र.-32

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान आदि ना होने संबंधी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इण्डिया) लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत खरसिया व रायगढ़ वन परिक्षेत्र के आरक्षित वन रकबा 0.7970, संरक्षित वन का रकबा 0.1517 हे. तथा राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) का रकबा 2.6271 हे. इस प्रकार कुल रकबा 3.5758 हे. भूमि में 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के कार्य के व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य अथवा हाथी कारीडोर नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि में हाथियों का आवागमन होता रहता है।

(एम.वी. अरविन्द)
उप महाप्रबंधक (परियोजना)
M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (परियोजना)

Deputy General Manager (Construction)
गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur

उप वनमंडल अधिकारी
घरघोड़ा

वन परिक्षेत्राधिकारी
रायगढ़

उप वनमंडल अधिकारी
रायगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
खरसिया

वनमंडल अधिकारी
रायगढ़ वनमंडल रायगढ़